बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (लखीसराय) 02–85/2022–   (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, लखीसराय के पत्रांक–2407/गो0, दिनांक–07.09.2022 द्वारा **श्री संजय कुमार पंडित, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर लखीसराय, लखीसराय** के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें श्री पंडित के विरूद्ध ऑनलाईन जमाबंदी पंजी में दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज करने, गलत लगान निर्धारण का प्रस्ताव देने, जिस दाखिल खारिज वाद को खारिज किया गया, उसी को पुनः अपने आदेश के विपरीत स्वीकृत करने, काफी संख्या में ऑनलाईन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामले लंबित रखने, पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–49(15), दिनांक–11.01.2023, पत्रांक–531(15) दिनांक–17.03.2023 एवं पत्रांक–973(15) दिनांक–18.05.2023 द्वारा श्री पंडित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री पंडित द्वारा दिनांक–29.05.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1365(15) दिनांक–11.07.2023 एवं पत्रांक–1686(15) दिनांक–11.09.2023 से समाहर्त्ता, लखीसराय से मंतव्य की मांग की गयी। प्राप्त मंतव्य में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर सहमति व्यक्त की गयी।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समाहर्त्ता से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पंडित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। श्री पंडित के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0–961(15) दिनांक–21.05.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, प्रभारी विभागीय जाँच, लखीसराय को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लखीसराय को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, लखीसराय के पत्रांक–1319/वि0जाँच दिनांक–04.10.2025 द्वारा श्री पंडित के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी।

5. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार पंडित, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर लखीसराय, लखीसराय **सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, गोपालगंज** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (भागलपुर) 02–115/2023–............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, लखीसराय को उनके पत्रांक–2407/गो0, दिनांक–07.09.2022 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज एवं लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री संजय कुमार पंडित, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–115/2023–.........501.........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–09/04/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री संजय कुमार पंडित** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

09/4/26
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Sanjay kr pandit (CO_Lakhisari sadar),_संचयी प्रभाव के बिना 2.doc